

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम
का संक्षिप्त विवरण।

जनपद अल्मोडा में कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग
का निर्माण लम्बाई 3.00 कि०मी०

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

पतावली में संलग्न है

ग) परियोजना की लागत।

105.00 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया
तकनीकी दृष्टि से वैकल्पिक स्थान निरस्त किये
गये।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जानेके लिए)

प्रमाण पत्र संलग्न है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

कुटीर उद्योग/फल सब्जी/अनेक रोजगार

2.

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण।

1. वन पंचायत भूमि	—	0.573 है०
2. आरक्षित वन भूमि	—	1.350 है०
3. सिविल एवं सोयम वन भूमि	—	0.172 है०
4. नाप भूमि	—	0.605 है०
कुल भूमि	—	2.700 है०

3.

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।

क) परिवारों की संख्या

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

लागू नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसूचक और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान-अल्मोड़ा


(ई० चन्दन सिंह नेगी)
अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

 

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

अध्याय-3

वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव गठन हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं उनका प्रारूप

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 2014 प्रस्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन लाईन (Online) प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 15-08-2014 से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल www.moef.nic.in पर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रति तैयार की जानी है, जिसमें समस्त सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने हैं तथा इन प्रपत्रों/सूचनाओं में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की सहमति/हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा ऑन लाईन अपलोड किये जा रहे वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वींछित सूचनायें संलग्न नहीं की जा रही हैं व अधूरा प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है, अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है।

3.2 भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित चैक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण एवं अलग-अलग प्रयोजनों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों की सूचना निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची सारणी-12

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	3	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	-
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०/ जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०/ जिलाधिकारी
	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक/

11.	दर्शाया गया हो।			डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लैंड शेड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/ सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
22.	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	-
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू-वैज्ञानिक	भू-वैज्ञानिक
35.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ इतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	37	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/ कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
46.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	43	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
47.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44.	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
48.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियाँ/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	47.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक / डी० एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी० एफ०ओ०
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	50.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
54.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
56.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक
	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व	55.	डी०एफ०ओ० /	डी०एफ०ओ० /

58.	कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।		उच्चस्तरीय समिति	प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	56.	प्रस्तावक	—
60	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	—

नोट :-उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

3.3 सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें

सारणी-13

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	सड़कों के चौड़ीकरण के मामलों में पूर्व निर्मित मार्ग एवं चूड़े किये जाने वाले मार्ग के भाग को बार चार्ट में अलग से दर्शाया जाना।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
2.	पूर्व में निर्मित मार्ग की स्वीकृति।	2	प्रस्तावक	—

3.4 सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें।

सारणी-14

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना समतुल्य वन भूमि की बनायी जानी है।	1	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यदि सिविल सोयम भूमि उपलब्ध न हो तो अवनत आरक्षित वन भूमि में दसवर्षीय योजना।	2	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0